[2010] 13 (ADDL.) S.C.R. 296

वरूण चौधरी

बनाम

राजस्थान राज्य

[आपराधिक अपील क्रमांक 705/2008]

29 अक्टूबर, 2010

[न्यायमूर्ति डॉ. मुकुंदकम शर्मा और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860:

धारा 302 - परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि - अभिनिर्धारितः परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में साक्ष्यों की एक पूर्ण श्रंखला होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके की अभियुक्त के अलावा और कोई व्यक्ति अपराध कारित नहीं कर सकता था - प्रस्तुत मामले में, यह दर्शित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है की अभियुक्त ने अपराध कारित किया था - अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया- साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - शिनाख्तगी परेड।

साक्ष्यः

वाहन की शिनाख्तगी - अपराध में प्रयुक्त वाहन मोटर साइकिल बरामद की गई - अभिनिर्धारितः जब तक घटनास्थल से टायर के निशानों को नहीं लिया जाता और बरामद मोटर साईकिल के निशानों के साथ उसकी तुलना करने पर समान होना नहीं पाया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि बरामद मोटरसाईकिल का उपयोग अपराध में किया गया था - प्रस्तुत मामले में, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है - दण्ड संहिता, 1860- धारा 302

अ.सा. 1 के पिता 22-08-2000 की रात्रि में अपने आवास के पास एक स्थान पर मृत पाए गए अन्वेषण के दौरान, अपीलार्थीगण (ए-1 तथा ए-2) और ए-3 को गिरफ्तार किया गया। ए-1 से एक चाकू और ए-3 से रक्त रंजित कपड़े बरामद किये गए। ए-1 से बरामद चाकू, मृतक के शरीर पर पाए गए कटे हुए घाव तथा अ.सा. 3 और अ.सा. 6 के साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय में ए-1 को दोषी पाया तथा उसे भा.द.सं. की धारा 302 में दोषसिद्घ किया। ए-1 ने अपनी दोषसिद्घि के विरूद्घ अपील दायर की, जबकि राज्य ने ए-2 तथा ए-3 की दोषमुक्ति के विरूद्घ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने ए-1 की अपील को खारिज कर दिया तथा राज्य की अपील को अनुमति दी तथा ए-2 और ए-3 को भी भा.द.सं. की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्घ कर दण्डित किया। व्यथित ए-1 तथा ए-2 ने अपील दायर की।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1 यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है क्योंकि किसी ने भी अपराध कारित होते हुए नहीं देखा था। यह विधि का सुस्थापित सिद्घांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, साक्ष्यों की एक पूर्ण श्रंखला होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके की अभियुक्त के अलावा और कोई व्यक्ति अपराध कारित नहीं कर सकता था और अभिलेख पर दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्घ करना न्यायसंगत नहीं होगा।

जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य, 2010 (10) एस.सी.आर. 377=(2010) एस.सी.सी. 593; *सी. चंगा रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य* 1996 (3) अनुपूरक एस.सी.आर. 479=(1996) 10 एस.सी.सी. 193- अविलंब किया गया।

1.2 घटना की दिनांक को घटनास्थल के समीप ड्यूटी कर रहे होमगार्ड अ.सा. 3 ने बताया कि उसने तीन लोगों को लगभग अर्धरात्रि में मोटर साइकिल पर देखा था। हालांकि, उसने बताया कि वह मोटर साइकिल पर सवार लोगों को नहीं पहचान पाया। इसी तरह पुलिस आरक्षक अ.सा. 6 ने बताया कि 22/08/2000 की रात्रि करीब 12 बजे उसने मोटर साइकिल पर तीन लोगों को देखा था और उक्त मोटर साइकिल चालक को रोकने के लिए उसने सीटी बजाई, लेकिन वह नहीं रुका। यह ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों साक्षियों में से किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अभियुक्तगण में से किसी को देखा था। उन्होंने मोटर साइकिल पर सवार तीनों व्यक्तियों के चेहरे भी नहीं देखे थे। इन परिस्थितियों के अंतर्गत शिनाख्तगी परेड कराना निरर्थक होगा, इसलिए शिनाख्तगी परेड नहीं कराई गई। इस प्रकार, किसी के भी द्वारा अभियुक्तगण को नहीं देखा था। [पैरा 5, 6 तथा 20]

1.3 जहां तक मोटर साइकिल की शिनाख्तगी का संबंध है, अ.सा. 6 ने केवल यह कहा कि उसने मोटरसाइकिल के पंजीयन क्रमांक का एक अंक '9' देखा था। यह विश्वास करना उचित नहीं होगा कि बरामद मोटर साइकिल जिसकी संख्या में अंक '9' भी था, उसका उपयोग अपराध में किया गया था। इस तरह साक्ष्य के अभाव के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता की अभियुक्तगण की शिनाख्तगी की गई या बरामद मोटर साइकिल वही थी जिसका उपयोग अपराध के समय अभियुक्तगण द्वारा किया गया था।

1.4 चाकू और रक्त रंजित कपड़ों की तथाकथित बरामदगी अभियोजक के लिए सहायक नहीं होगी। मोटर साइकिल की बरामदगी को साबित नहीं माना जा सकता है क्योंकि अ.सा. 9 ने यह तथ्य स्वीकार किया की उसने पुलिस थाने में पंचनामा पर हस्ताक्षर किए थे; जबकि अन्य साक्षी अ.सा. 25 चाकू की बरामदगी स्थापित नहीं कर सका क्योंकि वह चाकू बरामद होने के समयउपस्थित नहीं था। इसके अलावा, चाकू को कभी न तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

गया, ना ही यह अभियुक्तगण को दिखाया गया, इसलिए दोषसिद्धि का आदेश पारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना था।

अब्दुलवाहब अब्दुलमाज़िद बलूच बनाम गुजरात राज्य 2009 (4) एस.सी.आर. 956 = 2009 (11) एस.सी.सी. 625; तथा *मोहम्मद अब्दुल हाफिज़ बनाम आंध्रप्रदेश राज्य,* ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 367- संदर्भित किया गया।

1.5 अभियोजन को घटनास्थल पर मोटर साइकिल की उपस्थिति स्थापित करने के लिए यह साबित करना होगा कि घटनास्थल पर पाए गए टायरों के निशान उसी मोटर साइकिल के हैं जो अभियुक्तगण द्वारा उपयोग की गई थी। इस तथ्य का कोई साक्ष्य या संदर्भ भी नहीं है कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला या पुलिस कर्मियों में से किसी ने घटनास्थल से मोटर साइकिल के टायरों के निशान लिए हों जिससे उसकी तुलना अपराध में प्रयुक्त मोटर साइकिल के टायरों के निशान से की जा सके। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बरामद मोटर साइकिल को अपराध के लिए प्रयुक्त किया गया। यह प्रासंगिक है कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त मोटर साइकिल के टायरों के निशान सीलबंद स्थिति में नहीं थे यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मोटर साइकिल के टायर के निशानों पर विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित करने के लिए विश्वास नहीं किया जाना था कि विशिष्ट टायरों के निशान वाली मोटर साइकिल का उपयोग कथित अपराध में किया गया था।

1.6 यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या का हेतु स्थापित करने में विफल रहा। हालांकि हर मामले में अभियुक्तगण का हेतु साबित किया जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु ऐसे मामलों में जहां अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने के लिए चक्षुदर्शी साक्षी या वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध न हो उस दशा में अभियोजन को हत्या को अपराध को कारित करने के पीछे कोई हेतु स्थापित करना चाहिए था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक एक आयकर अधिकारी के द्वारा कुछ कबाड़ी विक्रेताओं के परिसरों में छापा मारा गया था और इसलिए उसे कबाड़ी विक्रेताओं से धमकी प्राप्त हुई थीं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण कबाड़ी विक्रेता नहीं है और न ही यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उन्हें अपराध कारित करने के लिए कबाड़ी विक्रेताओं द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार जहां तक अभियुक्तगण का संबंध है, अपराध करने के पीछे उनका कोई हेतु नहीं था।

सुरिंदर पाल जैन बनाम दिल्ली प्रशासन ***1993 क्रि.एल.जे. 1871 = 1993 एस.सी.सी. (क्रि.) 1096*** *तथा तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन* ***1994 (2) अनुपूरक एस.सी.आर. 740 = 1994 अनुपूरक (3) एस.सी.सी. 367 - संदर्भित किया गया।***

1.7 अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गए निम्नलिखित निष्कर्ष सही नहीं है। ऐसे साक्ष्य की लघुता व्यावहारिक तौर पर कानून की नजर में कोई साक्ष्य नहीं है, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था। दोनों अपीलों में अभियुक्तगण-अपीलार्थीगण के विरूद्घ दोषसिद्धि का आदेश न्यायसंगत नहीं है और इसलिए अपास्त किये जातें हैं। [पैरा 26]

संदर्भ विधि-वादः

2009 (4) एस.सी.आर. 956	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 12**
12ए.आई.आर 1983 एस.सी. 367	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 14**
1993 क्रि.एल.जे. 1871	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 15**
1994 (2) अनुपूरक एस.सी.आर. 740	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 15**
2010 (10) एस.सी.आर 377	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 24**
1996 (3) अनुपूरक एस.सी.आर. 479	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 25**

अपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः अपराधिक अपील क्रमांक 705/2008।

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के 14-11-2007 दिनांकित आपराधिक अपील क्रमांक 935/2005 डी.बी. के निर्णय एवं आदेश से।

के साथ

आपराधिक अपील क्रमांक 561/2000।

संजय आर. हेगड़े, रमेश कुमार मिश्रा, क्रुतिन जोशी, रमेश एस. जाधव, विक्रांत यादव, जे.एस. सोधी, सावरन एस. सरन अपीलार्थी की ओर से।

डॉ. मनीष सिंघवी, ए.ए.जी. दिवांशु कुमार देवेश, मिलिंद कुमार प्रत्यार्थी की ओर से।

न्यायमूर्ति **अनिल आर. दवे** द्वारा निर्णय द्वारा पारित किया गयाः

1. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 935/2005 तथा आपराधिक अपील क्रमांक 798/2006 में पारित निर्णय से व्यथित होकर आपराधिक अपील क्रमांक 705/2008 तथा आपराधिक अपील क्रमांक 561/2008 क्रमशः प्रस्तुत की गई। दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण को भा.द.सं. की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्घ पाकर आजीवन कारावास और 1000/- रूपये का जुर्माना तथा व्यतिक्रम होने की दशा में तीन महीने के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया

गया। दोनों अपीलों को एक साथ सुना गया तथा समान निर्णय के द्वारा इसका निराकरण हआ क्योंकि दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण समान अपराधों में शामिल थे।

2. उपरोक्त अपीलों को उत्पन्न करने वाले तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार हैं-

(क) मृतक भवानी सिंह एक आयकर अधिकारी था तथा अजमेर में पदस्थ था। वह एक खोज दल का सदस्य था जिसका कार्य कुछ परिसरों में छापे मारना था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या संबंधित व्यक्तियों ने आयकर भुगतान में चोरी की है।

(ख) 22 अगस्त, 2000 की शाम को मृतक अपने बेटे अजीत सिंह (अ.सा. 11) को यह सूचना देकर अजमेल क्लब जाने के लिए अपने निवास से निकला की वह रात 10 बजे तक वापस आ जाएगा। भवानी सिंह के अर्धरात्रि तक न लौटने पर अजीत सिंह (अ.सा. 11) ने वासुदेव (अ.सा. 5) से पूछताछ की मृतक वापस क्यों नहीं लौटा इसके पश्चात वासुदेव (अ.सा. 5) ने अजीत सिंह (अ.सा. 11) को सूचित किया कि उसने मृतक को अजमेर क्लब से लिफ्ट देकर उसे उसके निवास के निकट स्थित रीकोह सर्कल पर छोड़ दिया था। परिस्थितियों के अनुसार अजीत सिंह (अ.सा. 11) वासुदेव (अ.सा. 5) के निवास के निकट पूछताछ करने गया था, परंतु इसी बीच सूचना मिली की मृतक का शव रीकोह सर्कल के पास पाया गया है जो कि मृतक के निवास से समीप था। ठुड्डी के बाईं और कटे हुए घाव तथा उसके शरीर पर चाकू के प्रहार से कारित घाव पाए गए तथा यह पाया गया कि मृतक की मृत्यु किसी के द्वारा उस पर हमला करने के कारण हुई। इन परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-15) लगभग रात के लगभग 2 बजे दर्ज की गई और उसके बाद अन्वेषण अधिकारी (अ.सा. 26) द्वारा आवश्यक जांच की गई। जांच के दौरान वरूण चौधरी- अभियुक्त क्रमांक 1, सुधीर @ बंटी- अभियुक्त क्रमांक 2 और हिम्मत सिंह @ बॉबी- अभियुक्त क्रमांक 3 को गिरफ्तार किया गया।

3. अभियोजन का मामला यह था कि उक्त अभियुक्तगण ने मृतक को गंभीर क्षति पहुंचाकर हत्या का अपराध किया है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है क्योंकि किसी ने भी अपराध होते हुए नहीं देखा था। तथापि साक्ष्य में यह अभिलिखित किया गया कि 1 सितंबर, 2000 को अभियुक्त क्रमांक 1 और अभियुक्त क्रमांक 2 की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अभियुक्त क्रमांक 1 से एक चाकू बरामद किया गया और हिम्मत सिंह अभियुक्त क्रमांक 3 के रक्त रंजित कपड़े बरामद किये गये।

4. विचारण न्यायालय ने तथ्यों पर विचार कर और अभिलिखित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त क्रमांक 1 को भा.द.सं. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध का दोषी पाकर उसे आजीवन कारावास और 1000/- का जुर्माना तथा व्यतिक्रम की दशा में 3 महीने के साधारण कारावास के दण्ड से दंडित किया जबकि अभियुक्त क्रमांक 2 तथा 3 को दोषमुक्त कर दिया।

5. विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि अभियुक्त क्रमांक 1 से एक चाकू बरामद किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक के शरीर पर कटे हुए घाव पाए गए थे यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त क्रमांक 1 भा.द.सं. की धारा 302 के अपराध का दोषी है। विचारण न्यायालय ने पवन कुमार, रीकोह सर्कल के निकट कार्यरत होमगार्ड (अ.सा. 3) के साक्ष्य पर विचार किया। लगभग अर्धरात्रि में उसने लोगों को मोटर साइकिल पर सवार देखा था किंतु वह उन लोगों को पहचान नहीं सका, जो मोटर साइकिल पर सवार थे।

6. पुलिस आरक्षक पूरण सिंह (अ.सा. 6) ने भी लगभग समान समय में 3 व्यक्तियों को मोटर साइकिल पर जाते देखा और चूंकि एक मोटर साइ,किल पर तीन व्यक्ति सवार थे इसलिए उसने उन्हें रोकने के लिए सीटी बजाकर रूकने का संकेत दिया किंतु मोटर साइकिल चालक नहीं रुके और वह मोटर साइकिल की नंबर प्लेट पर अंक नहीं देख सका परंतु उसने देखा कि मोटर साइकिल के नंबर में एक अंक '9' था।

7. मृतक के शव परीक्षण से रिपोर्ट से प्रकट हुआ की मृतक को निम्नलिखित चोटें कारित की गई थी-

(i) ठुड्डी की बाई ओर 3x0.5 सें.मी. मांसपेशियों की गहराई तक एक घाव।

(ii) छाती के बाई ओर निचले हिस्से पर 2.5x0.5 से.मी. कटा हुआ घाव।

8. उक्त चोटें धारदार हथियार द्वारा कारित की गई और चिकित्सक की राय में उक्त चोटें मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं।

9. विचारण न्यायालय का मत था की परिस्थितियों की श्रंखला पूर्ण हो चुकी हैं और उक्त आधार पर दोषसिद्घि का आदेश पारित किया गया।

10. दोषसिद्घि के आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त क्रमांक 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जबकि अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 की दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्घ राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई और अंततः विद्वान अधिवक्तओं की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार करने और साक्ष्यों के परिशीलन करने के पश्चात उच्च न्यायालय ने अभियुक्त क्रमांक 1 के दोषसिद्घि के आदेश की पुष्टि की जहां तक अभियुक्तगण क्रमांक 2 एवं 3 का प्रश्न है उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो भी उस अपराध के दोषी हैं जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था इसलिए, राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण क्रमांक 2 एवं 3 के पक्ष में दोषमुक्ति के निष्कर्षों को अपास्त कर दिया गया और उक्त अभियुक्तगण को भी भा.द.सं. की

धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्घ पाकर उन्हें आजीवन कारावास और 1000/- का जुर्माना तथा व्यतिक्रम की दशा में 3 महीने के साधारण कारावास के दण्ड से दंडित किया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त दो अपीलों को अभियुक्तगण क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यू.यू. ललित द्वारा वरुण चौधरी ए-1 की दोषसिद्घि से संबंधित आपराधिक अपील क्रमांक 705/2008 पर बहस की गई और विद्वान अधिवक्ता श्री संजय आर. हेगड़े द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 561/2008 पर बहस की गई। विद्वान अधिवक्ता ने बल देकर तर्क दिया कि दोषसिद्घि का आदेश कानून की दृष्टि में न्यायसंगत नहीं है क्योंकि न ही कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य था और न ही घटनाओं की श्रंखला इतनी पूर्ण थी जिससे एकमात्र यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्तगण उक्त संदर्भित अपराध के दोषी थे और उनके निर्दोष होने की कोई संभावना नहीं थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में यह युक्तियुक्त संदेह के परे स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त के अलावा किसी ओर ने अपराध कारित नहीं किया होगा और घटनाओं की श्रंखला इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए कि कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि अभियुक्त ही एकमात्र वह व्यक्ति था जो अपराध कारित कर सकता था। अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और पुलिस आरक्षक (अ.सा. 6) के द्वारा दी गई गवाही ही एकमात्र साक्ष्य थी की उसने तीन लोगों को मोटर साइकिल पर जाते देखा था। यद्यपि वह मोटर साइकिल का पूरा क्रमांक नहीं देख सका किंतु वह मोटर साइकिल के क्रमांक का एक अंक '9' देख पाया। उक्त साक्षी ने विनिर्दिष्ट तौर से कहा कि वह किसी भी अभियुक्तगण को नहीं पहचान सका तथा शिनाख्ती परेड नहीं करायी गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि क्या अभियुक्तगण वही तीन लोग हैं जिन्हें होमगार्ड (अ.सा. 3) और पुलिस आरक्षक (अ.सा. 6) द्वारा देखा गया था।

12. इसके पश्चात् उन्होंने दलील दी कि विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय बरामद चाकू तथा रक्त रंजित कपड़ों पर निर्भर नहीं हो सकते थे। उक्त बरामदगी सम्यक रूप से इसलिए साबित नहीं हो सकी क्योंकि साक्षी मदनलाल (अ.सा. 25) जिसने बरामदगी को साबित करने का प्रयास किया था उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया की वह उस परिसर से बाहर था जहां से चाकू और रक्त रंजित कपड़े बरामद किये गये। अ.सा. 25 द्वारा यह विनिर्दिष्ट रूप से कहा गया कि वरुण चौधरी, पुलिस और साक्षियों को वह स्थान दिखाने के लिए ले गया जहां चाकू को छिपाया गया था तो उसे परिसर के बाहर रहने के लिए कहा गया। पुलिस एवं अभियुक्त क्रमांक 1 परिसर में गये तथा चाकू और रक्त रंजित कपड़ों को लेकर लौटे। अन्य साक्षी भंवर सिंह (अ.सा. 9) जिसके द्वारा मोटर साइकिल बरामदगी साबित की जानी थी, ने स्वीकार किया कि बरामदगी पंचनामा उसके द्वारा पुलिस थाने में हस्ताक्षरित किया गया। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्षियों को विश्वसनीय नहीं समझा जाना था। उन्होंने आगे बताया

कि कभी भी बरामद चाकू न ही अभियुक्तगण को दिखाया गया और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार इस न्यायालय द्वारा *अब्दुलवाहब अब्दुलमाज़िद बलूच बनाम गुजरात राज्य* 2009 (11) एस.सी.सी. 625 मामले में अभिनिर्धारित विधि के अनुसार, बरामद हथियार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अभियुक्त को दिखाया जाना चाहिए परंतु निस्संदेह न ही हथियार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही इसे किसी भी समय अभियुक्तगण को दिखाया गया।

13. जहां तक मोटर साइकिल के टायरों के निशान जिसका उपयोग अपराध में किया जाना अभिकथित है से संबंधित साक्ष्य का प्रश्न है उन्होंने बताया कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि घटनास्थल पर पाये गये टायरों के निशान की तुलना मोटर साइकिल के निशानों से की गई। वास्तव में यह प्रमाणित करने के लिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटनास्थल पर पाये गये टायरों के निशान और एफ.एस.एल. द्वारा पाये गये टायरों के निशान समान थे।

14. उन्होंने आगे बताया कि उस समय भी जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण से के परिक्षण के दौरान भी अभियुक्तगण को हथियार और रक्त रंजित कपड़े नहीं दिखाए गए। अपने को साबित करने के लिए उन्होंने इस न्यायालय द्वारा पारित *मोहम्मद अब्दुल हाफिज़ बनाम आंध्रप्रदेश राज्य* ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 367 के निर्णय को आधार बनाया कि बरामद मुद्देमाल (आर्टकल्स) अभियुक्तगण को विचारण के दौरान या उस समय जब उसके बयान को द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाता है तब उसे दिखाया जाना चाहिए।

15. उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्तगण के विरुद्घ कोई हेतु दर्शित नहीं हो सका। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रत्येक मामले में हेतु स्थापित करना महत्वपूर्ण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार भले ही कोई मृतक के बेटे के कथन पर भरोसा करे कि मृतक की कबाड़ी विक्रेताओं से रंजिश हो सकती है क्योंकि मृतक ने कबाड़ी विक्रताओं के परिसर में छापा मारा था और उक्त तथ्यों के कारण मृतक को कबाड़ी का कारोबार करने वाले व्यक्तियों से कुछ धमकियां भी मिली थी। परंतु आरोपीगण न ही कबाड़ी विक्रेता थे और न ही इस बात का कोई साक्ष्य है कि कबाड़ी विक्रेताओं के कहने पर अभियुक्तगण ने मृतक की हत्या की थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार किसी हेतु के अभाव में, केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्घ करना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा खासकर तब जब इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध न हों कि अभियुक्तगण ने अपराध कारित किया था। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण को प्रमाणित करने के लिए वह *सुरींदर पाल जैन बनाम दिल्ली प्रशासन* 1993 सी.आर.एल. 1871 = 1993 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1096 तथा *तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन* 1994 अनुपूरक (3) एस.सी.सी. 367 क्रमशः वाद विधि पर निर्भर हुए।

16. उपरोक्त कारणों से उन्होंने दलील दी कि अभियुक्तगण के विरूद्घ दोषसिद्घि का आदेश पारित नहीं होना चाहिए और इसलिए अपील की अनुमति दी जानी चाहिए तथा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

17. दूसरी ओर विद्वान लोक अभियोजक ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्तगण के दोषसिद्धि के निर्णयों का समर्थन करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित साक्ष्य का उच्च न्यायालय द्वारा उचित मूल्यांकन किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सकारण निष्कर्षों को देखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता को सुनने पश्चात उपरोक्त संदर्भित दलीलों को स्वीकार कर सुसंगित अभिलिखित किया।

19. अपीलार्थीगण के द्वारा उद्धृत किये गये निर्णयों को देखने पर तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने पर हम अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश दलीलों से सहमत है।

20. होमगार्ड, पवन कुमार (अ.सा. 3) ने एक मोटर साइकिल पर 3 लोगों को देखा था। परंतु उसने कहा कि वह मोटर साइकिल पर सवार व्यक्तियों को पहचान नहीं सका। इसी तरह पुलिस आरक्षक पूरण सिंह (अ.सा. 6) ने बताया कि 22 अगस्त, 2000 की रात्री लगभग 12 बजे उसने दो लोगों को मोटर साइकिल पर जाते हुए देखा था और उसमें से एक मृतक था। कुछ समय पश्चात उसने एक और सुजुकी मोटर साइकिल देखी लेकिन वह मोटर साइकिल का पूरा नंबर तो नहीं देख सका किंतु उसमें से केवल अंक '9' को पढ़ सका। उसने उक्त मोटर साइकिल को रोकने के लिए सीटी बजाई किंतु मोटर साइकिल चालक नहीं रुका। इसके पश्चात उसने एक और हीरो होण्डा मोटर साइकिल देखी थी जिसने संतोषी माता मंदिर के पास एक कुत्ते को टक्कर मार दी। गौरतलब है कि उपरोक्त दोनों साक्षियों ने यह नहीं कहा कि उन्होंने किसी भी अभियुक्तगण को देखा था। संभवतः उन्होंने मोटर साइकिल पर सवार लोगों के चेहरे भी नहीं देखे। संभवतः इन परिस्थितियों में शिनाख्तगी परेड निर्थक होती और इसलिए शिनाख्तगी परेड नहीं करायी गयी। इस प्रकार किसी ने भी किसी भी अभियुक्तगण को नहीं देखा था जहां तक मोटर साइकिल की पहचान का प्रश्न है, अ.सा. 6 ने केवल इतना कहा कि उसने मोटर साइकिल के पंजीयन क्रमांक का केवल एक अंक '9' देखा था। हमारी राय में पंजीयन क्रंमाक के मात्र एक अंक के आधार पर यह मानना

उचित नहीं होगा कि बरामद मोटर साइकिल जिसके पंजीयन क्रमांक में भी अंक '9' था, उसका उपयोग अपराध के समय अभियुक्तगण द्वारा किया गया था।

21. हमारी राय में तथाकथित चाकू तथा रक्त रंजित वस्त्रों की बरामदगी अभियोजन के लिए सहायक नहीं होगी। मोटर साइकिल की बरामदगी को साबित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भंवर सिंह (अ.सा. 9) ने यह तथ्य स्वीकार किया कि उसने बरामदगी पंचनामा पुलिस थाने में हस्ताक्षरित किया था जबकि अन्य साक्षी मदनलाल (अ.सा. 26) चाकू की बरामद्रगी को स्थापित नहीं कर सका क्योंकि वह उस समय उस स्थान पर उपस्थित नहीं था जहां से चाकू को बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त चाकू को कोर्ट के समक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कभी अभियुक्तगण को दिखाया गया तथा इस प्रकार हमारे दृष्टिकोण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त साक्ष्यों पर आधारित होकर दोषसिद्घि का आदेश पारित नहीं किया जाना था।

22. यह ध्यान देना उचित है कि इस तथ्य को कोई साक्ष्य नहीं है या यहां तक कि संदर्भ भी नहीं है कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या पुलिस कर्मियों में से किसी ने घटनास्थल से मोटर साइकिल के टायरों के निशान लिए जिसकी तुलना अपराध में युक्त मोटर साइकिल के टायर के निशानों से की जा सके। जब तक घटनास्थल से टायरों के निशान नहीं लिए जाते और बरामद मोटर साइकिल के टायरों से उसकी तुलना करने पर समान नहीं पाये जाते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि बरामद मोटर साइकिल का उपयोग अपराध में किया गया था। घटनास्थल पर मोटर साइकिल की उपस्थिति स्थापित करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना होगा कि घटनास्थल पर पाये गए टायरों के निशान, अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त मोटर साइकिल के थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफ.एस.एल. द्वारा प्रयुक्त मोटर साइकिल के टायरों के निशान सीलबंद स्थिति में नहीं थे। उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा मोटर साइकिल के टायरों के निशान को यह स्थापित करने के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए था कि विशिष्ट टायर के निशान वाली मोटर साइकिल का उपयोग कथित अपराध में किया गया था।

23. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन अभियुक्तगण द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने का हेतु स्थापित नहीं कर सका। बेशक हर मामले में अभियुक्त का हेतु साबित करना आवश्यक नहीं है किंतु इस मामले में जहां चक्षुदर्शी साक्षी या वैज्ञानिक साक्ष्य अभियुक्तगण को अपराध से जोडने के लिए उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में हमारी राय में अभियोजन को मृतक की मृत्यु को कारित करने के हेतु को स्थापित करना चाहिए। अभियोजन का मामला था कि मृतक, एक आयकर अधिकारी ने कुछ कबाड़ी विक्रेताओं के परिसर में छापा मारा था और इसलिए उसे उन कबाडी विक्रेताओं से कुछ धमकीयां मिली थीं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण कबाड़ी विक्रेता नहीं है या यह साबित करने के लिए भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण को

अपराध करने के लिए कबाडी विक्रताओं द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार जहां तक अभियुक्तगण का प्रश्न है उनका अपराध कारित करने का कोई हेतु नहीं था।

24. यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में साक्ष्यों की एक पूर्ण श्रंखला होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके की अभियुक्त के अलावा और कोई व्यक्ति अपराध कारित नहीं कर सकता था। इस मामले में, यह दर्शित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है की अभियुक्तगण ने अपराध कारित किया था तथा उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर हमारे दृष्टिकोण में अभियुक्तगण को दोषसिद्घ करना न्यायसंगत नहीं होगा। *जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य* (2010) 8 एस.सी.सी. 593, पैरा 24 के मामले में यह कहा गया कि "दोषसिद्घ करने के प्रयोजन से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पर्याप्तता तय करने के लिए न्यायालय को सभी साबित तथ्यों के कुल संचयी प्रभाव पर विचार करना होगा जिनमें से प्रत्येक को दोष का निष्कर्ष सुदृढ़ करना होगा और यदि इन सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में निश्चयात्मक है तो दोषसिद्घि न्यायसंगत होगी, भले ही इनमें से एक या अधिक तथ्य स्वयं में निर्णायक न हो स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा साबित की जाने वाली परिकल्पना के सिवाय हर परिकल्पना को प्रथक होना चाहिए.....साक्ष्य की एक श्रंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के निर्दोष होने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न रहे और वहां दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय सम्भावनाओं में अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया होगा। जहां श्रंखला की विभिन्न कडियां स्वयं पूर्ण हो उसी स्थिति में केवल न्यायालय को आश्वासन देने के लिए मिथ्या अभिवाक या मिथ्या प्रतिवाद की सहायता ली जा सकती है।"

25. *सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य* 1996, 10 एस.सी.सी 193 के अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में सुस्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोषी होने का निष्कर्ष निकले उसे पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निश्चयात्मक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी परिस्थितियां पूर्ण होनी चाहिए तथा साक्ष्यों की श्रंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिस्थितियां केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसके निर्दोष होने से पूर्ण असंगत होनी चाहिए।

26. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हमारी राय यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है। साक्ष्यों की कमी, विधि की दृष्टि में व्यावहारिक तौर पर कोई साक्ष्य नहीं माना जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्घि का आदेश पारित नहीं किया जाना था। उपरोक्त वर्णित कारणों से न्यायालय का यह दृष्टिकोण है कि दोनों अपीलों में अभियुक्तगण- अपीलार्थीगण का दोषसिद्घि का आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः अपील

स्वीकार की जाती है।आलोच्य आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है। यदि किसी अन्य अपराध में आवश्यक न हो तो अभियुक्तगण-अपीलार्थीगण को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जावे।

अपील स्वीकार

नाम- सौम्या चौधरी
व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड
प्रशिक्षु न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)